

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. आयकर अपील संख्या 8/2021

आयकर आयुक्त-I, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

सतीश कुमार अग्रवाल, निवासी-406, बिलाला भवन, हनुमान का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
(राजस्थान)

----प्रतिवादी

डी.बी. आयकर अपील संख्या 46/2020

प्रधान आयकर आयुक्त-I, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

श्री राहुल शर्मा, 80/2, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

----प्रतिवादी

से जुड़ा हुआ है

डी.बी. आयकर अपील संख्या 43/2018

प्रधान आयकर आयुक्त-I, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर राज।

----अपीलकर्ता

बनाम

श्री राहुल शर्मा, 80/2, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

----प्रतिवादी

डी.बी. आयकर अपील संख्या 23/2022

प्रधान आयकर आयुक्त, उदयपुर।

----अपीलकर्ता

बनाम

विनायक माइक्रोन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 385 -386, विनायक सेंद्रा रोड, साईनाथ नगर, ग्राम
ठीकराना राजस्थान।

----प्रतिवादी

डी.बी. आयकर अपील संख्या 39/2023

प्रधान आयकर आयुक्त-I, जयपुर, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

श्री सुरेंद्र मीणा, 36, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. आयकर अपील संख्या 21/2023

प्रधान आयकर आयुक्त, उदयपुर।

----अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती रेखा शेखावत, पुलिस लाइन, गोपाल विहार, कोटा 324002।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए

:

श्री अनुरूप सिंघी जी के साथ

श्री एन.एस. भाटी

श्री आदित्य खंडेलवाल

श्री अनुराग माथुर जी के साथ

श्री आदित्य डोडा एवं

श्री पार्थ वशिष्ठ जी के लिए

श्री शान्तनु शर्मा

उत्तरदाताओं के लिए

:

श्री सिद्धार्थ रांका,

सुश्री सात्विका झा,

सुश्री अपेक्षा बापना, श्री रोहन चटर,

श्री गुंजन पाठक,

श्री आदित्य बोहरा,

सुश्री इशिता रावत,

श्री कनिष्का सिंघल,

श्री महेंद्र गार्गिया,

(29/05/2025 को अपराह्न 03:59:10 बजे डाउनलोड किया गया)

श्री हेमांग गार्गिया,
श्री देवांग गार्गिया,

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस प्रवीर भटनागर

आदेश

27/09/2024

अवनीश झिंगन. जे:

1. इन अपीलों में शामिल मुद्दा समान है और इस आदेश द्वारा तय किया जा रहा है। तथ्य डी.बी. आयकर अपील संख्या 8/2021 से नोट किए जा रहे हैं।
2. यह अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 09.09.2020 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।
3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने निर्धारण वर्ष 2015-2016 से संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल आय 20,04,170/- रुपये घोषित की गई। आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन 29.12.2017 को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें धारा 54बी के तहत दावा किए गए 91,83,373/- रुपये की कटौती को अस्वीकार कर दिया गया। अधिनियम की धारा 263 के तहत मूल्यांकन आदेश को इस आधार पर संशोधित किया गया था कि अधिनियम की धारा 50-सी को लागू किया जाना चाहिए था। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को मूल्यांकन के लिए वापस भेज दिया गया। न्यायाधिकरण ने 09.09.2020 को करदाता की अपील स्वीकार कर ली, इसलिए वर्तमान अपील।
4. अपील में कर प्रभाव 13,93,590/- रुपये है। विभाग का मामला यह है कि विभाग द्वारा स्वीकार की गई लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर संशोधन किया गया था और अपील 11.07.2018 के परिपत्र संख्या 3/2018 में दिए गए अपवादों के अंतर्गत आती है।
5. इसमें शामिल मुद्दा यह है कि क्या 17.09.2024 के परिपत्र संख्या 9/2024 के जारी होने के बाद, 2018 के परिपत्र 3/2018 के अपवाद लंबित अपीलों पर लागू होते हैं।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:59:10 बजे डाउनलोड किया गया)

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि 2024 के परिपत्र 9 का पैरा 5 केवल बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा को पूर्वव्यापी प्रभाव दे रहा है, न कि 2024 के परिपत्र 5 के पैरा 3.1 और 3.2 में दिए गए अपवादों को।
7. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2024 का परिपत्र 9 सभी लंबित अपीलों और दायर की जाने वाली अपीलों पर लागू है, दायर की जाने वाली अपीलों और लंबित अपीलों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है।
8. मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय के रूप में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा 268ए के तहत परिपत्र जारी किए जाते हैं। विभाग द्वारा न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और कम कर प्रभाव के बावजूद अपील दायर करने के अपवाद भी निर्धारित किए गए हैं।
9. इस मुद्दे से निपटने के लिए, पिछले परिपत्रों की भाषा पर गौर करना उचित होगा। 2008 के निर्देश संख्या 5 दिनांक 15.05.2008, 2011 के निर्देश संख्या 3 दिनांक 09.02.2011 और 2014 के निर्देश संख्या 5 दिनांक 10.07.2014 में, तीनों निर्देशों का पैरा 11 यह था कि ये जारी होने की तिथि को या उसके बाद दायर की जाने वाली अपीलों पर लागू होंगे और पहले दायर की गई अपीलों संबंधित समय पर लागू निर्देशों द्वारा शासित होंगी। 2015 के परिपत्र संख्या 21 दिनांक 10.12.2015 को 2014 के निर्देश संख्या 5 के सुपर सेशन में जारी किया गया था। अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई थी और पैरा 8 में कम कर प्रभाव के बावजूद अपील दायर करने के लिए अपवाद निर्धारित किए गए थे। पैरा 10 में कहा गया है कि परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा और निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के नीचे लंबित अपील वापस ली जा सकती हैं इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों उन अनुदेशों द्वारा शासित होंगी जो इन अपीलों को दायर करते समय लागू होंगे।
10. दिनांक 11.07.2018 के परिपत्र संख्या 3, 2015 के परिपत्र 21 का स्थान लेता है। मौद्रिक सीमाएँ बढ़ा दी गई हैं। पैरा 10 में, निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा से कम कर प्रभाव वाले

मामलों में अपील दायर करने के लिए चार अपवाद निर्धारित किए गए हैं। इस मामले में विभाग द्वारा पैरा 10 के खंड (ग) में दिए गए अपवाद पर भरोसा किया जा रहा है।

11. परिपत्र 3, 2018 के पैरा 10(ग) और 13 को पुनः उद्धृत किया जाता है:

पैरा 10(ग)

"जहाँ मामले में राजस्व लेखापरीक्षा आपत्ति विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई है।"

पैरा 13:

"यह परिपत्र अब से सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण में दायर की जाने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों/प्रति आपत्तियों/संदर्भों पर लागू होगा और यह लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों/प्रति आपत्तियों/संदर्भों पर भी पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट कर सीमाओं से नीचे लंबित अपीलें वापस ली जा सकती हैं/नहीं ली जा सकतीं।"

12. पैरा 13 से यह स्पष्ट है कि परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू था और निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं से नीचे की अपीलों को वापस लिया जाना था या नहीं ली जा सकती थीं।

13. 2018 के परिपत्र 3 को 2019 के परिपत्र 17, दिनांक 08.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया था। मौद्रिक सीमाओं को और बढ़ा दिया गया और परिपत्र के पैरा 5 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस परिपत्र के पैरा 4 में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन परिपत्र जारी होने की तिथि से लागू होगा।

14. 2018 के परिपत्र 3 और 2019 के परिपत्र 17 को दिनांक 15.03.2024 के परिपत्र 5, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मौद्रिक सीमाएँ बढ़ा दी गईं और कम कर प्रभाव के बावजूद अपील दायर करने के अपवाद पैरा 3.1 और 3.2 में दिए गए। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर लिए जाने के बाद यह अपवाद अब समाप्त हो गया। यह परिपत्र, परिपत्र जारी होने की तिथि से दायर की जाने वाली अपीलों पर लागू कर दिया गया।

परिपत्र का पैरा 10 नीचे उद्धृत है:

(29/05/2025 को अपराह्न 03:59:10 बजे डाउनलोड किया गया)

"यह अधिनियम की धारा 268ए के अंतर्गत जारी किया गया है और इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। यह परिपत्र अब से सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरणों के समक्ष दायर की जाने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों पर लागू होगा।"

15. दिनांक 17.09.2024 के परिपत्र 9/2024 द्वारा, परिपत्र 5/2024 में निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं को बढ़ा दिया गया। परिपत्र संख्या 5/2024 के पैरा 3.1 और 3.2 में दिए गए अपवादों को बरकरार रखा गया।

16. 2024 के परिपत्र 9 का **पैरा 5** पुनः उद्धृत है:

"ये संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। यह परिपत्र अब से सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण में दायर की जाने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों पर लागू होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों पर भी लागू होगा, जिन्हें तदनुसार वापस लिया जा सकता है।"

पैरा 5 के अनुसार यह परिपत्र उसके बाद दायर की जाने वाली अपीलों और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में लंबित अपीलों पर भी लागू होगा।

17. 2024 के परिपत्र 9 ने यद्यपि मौद्रिक सीमाएँ बढ़ा दी हैं, किन्तु परिपत्र 5, 2024 के पैरा 3.1 और 3.2 के अपवादों को बरकरार रखा है। 2024 के परिपत्र 9 के पैरा 5 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह परिपत्र आगे दायर की जाने वाली अपीलों और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में लंबित अपीलों पर भी लागू होगा। इस प्रकार, इसमें निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा और परिपत्र 5, 2024 के पैरा 3.1 और 3.2 के अपवाद सभी लंबित अपीलों पर लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, परिपत्र 5, 2024 भावी रूप से लागू था, किन्तु परिपत्र 9, 2024 ने मौद्रिक सीमा बढ़ाते हुए, परिपत्र 5, 2024 के अपवादों को बरकरार रखते हुए, इसे लंबित अपीलों पर भी लागू कर दिया।

18. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि परिपत्र केवल मौद्रिक सीमा पर ही पूर्वव्यापी प्रभाव डालता है, निराधार है। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो परिणाम (29/05/2025 को अपराह्न 03:59:10 बजे डाउनलोड किया गया)

यह होगा कि 2024 के परिपत्र 9 के पैरा 5 की स्पष्ट और सरल भाषा में कुछ और शब्द जोड़े जाएँगे।

19. अपीलकर्ता के वकील द्वारा 2018 के परिपत्र 3 में दिए गए अपवादों पर भरोसा कायम नहीं रखा जा सकता। 2018 के परिपत्र 3 को परिपत्र 5 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था और 2024 के परिपत्र 9 में बढ़ाई गई मौद्रिक सीमाओं के साथ परिपत्र 5 के अपवाद लंबित अपीलों पर लागू किए गए थे।

20. परिपत्र 9/2024 के मद्देनजर अपीलों को गैर-रखरखाव योग्य मानते हुए खारिज किया जाता है।

21. प्रस्तावित विधि संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न खुले रखे गए हैं।

(प्रवीर भटनागर), न्यायमूर्ति

(अवनीश झिंगन), न्यायमूर्ति

सिंपल कुमावत /158, 156-157, 159, 161, 106

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी